

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 65/2022 बउनवानी रामकिशोर बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले. चौथ का बरवाडा, पुत्र स्व. श्री बिरधीचन्द सैनी, नि० प्लाट नं. ए-1, रजनीश नगर, हरनाथपुरा, झोटवाडा, जयपुर


GCMS No-2022/114

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.8.2022	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <p>“तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार चौथ का बरवाडा, पटवारी हल्का शिवाड बी द्वारा मोटी रिश्वत राशि प्राप्त कर अभियुक्तगण से मिलीभगत करते हुए प्रार्थी की वास्तविक बेशकीमती जमीन को कम करके नक्शा ट्रेस को छोटा करके खुर्द बुर्द करवाने वाले अधिकारी /कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं ख०न० 3786,3795 का सीमाज्ञान करवाने बाबत दिनांक 25.4.2022 को उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को प्रेषित पत्र के संबंध में निम्न सूचना चाहिए:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थी द्वारा लिखे गये उक्त पत्र की प्रति मय एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।</li> <li>2. उक्त पत्र को आपके विभाग/कार्यालय के डाक आवक जावक रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर इन्द्राज किये गया उक्त पृष्ठ की प्रति।</li> <li>3. उक्त लिखे गये पत्र पर आपके विभाग/कार्यालय द्वारा चलाई गयी समस्त नोटशीट की प्रमाणित प्रति।</li> <li>4. संबंधित समस्त पत्रावलियों के आगे व पीछे के फाईल कवर की प्रमाणित प्रति।</li> <li>5. उक्त लिखे गये पत्र पर आपके विभाग/कार्यालय द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।</li> <li>6. उक्त पत्र के संबंध में आपके विभाग/कार्यालय द्वारा व अन्य किसी विभाग/कार्यालय द्वारा किया गया समस्त प्रकार का का आपसी पत्राचार की प्रमाणित प्रति।</li> <li>7. उक्त पत्र के संबंध में आपके विभाग/कार्यालय में संघारित समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करावे।</li> <li>8. उक्त पत्र के संबंध में आपके विभाग/कार्यालय में कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/लोक सेवक का नाम, पिता का नाम, दूरभाष नम्बर, निवास स्थान का पता एवं वर्तमान पदस्थापन से संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रति।</li> <li>9. उक्त पत्र के संबंध में आपके विभाग/कार्यालय द्वारा कार्यवाही जिस नियम/कानून/ परिपत्र के तहत नहीं की गयी उस नियम/कानून/परिपत्र की प्रतियाँ उपलब्ध करावे।</li> </ol> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिनियम एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p>

श्री बिरधीचन्द सैनी  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/6044 दिनांक 22.8.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 9 की सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 की सूचना अपीलान्त को जरिये पत्रांक 6044 दिनांक 22.8.2022 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 8,9 पर चाही गयी सूचना का रिकार्ड संघारित नहीं होने के कारण अपीलान्त को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 की सूचना अपीलान्त को जरिये पत्रांक 6043 दिनांक 22.8.2022 से भिजवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 8 व 9 की सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय में संघारित नहीं होने एवं व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी मे होने से अपीलान्त को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

  
(सुरेश कुमार ओला)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर